Chakma body approaches NHRC on alleged mental harassment by Changlang DC

https://thenewsmill.com/2022/09/chakma-body-approaches-nhrc-on-alleged-mental-harassment-by-changlang-dc/

The Chakma Development Foundation of India (CDFI) on September 22 filed a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) against alleged false prosecution and mental harassment of human rights defender Rup Singh Chakma, president of Arunachal Pradesh Chakma Students Union (APCSU) by the deputy commissioner of Changlang district of Arunachal Pradesh.

The APCSU claimed that on September 19, the additional deputy commissioner of Bordumsa issued a 'summon' to Rup Singh Chakma by WhatsApp to appear before him on September 20 pursuant to the direction of the DC, Changlang district dated August 23, 2022 to sign a bond under Section 107 CrPC (Code of Criminal Procedure, 1973) for maintaining peace and tranquillity in the area.

"Rup Singh Chakma has been employed and working in Noida, Uttar Pradesh since June 2021 and is still working and living in Noida. He was not present in Arunachal Pradesh in August 2022. How could a person sitting in Noida break peace and tranquillity in Arunachal Pradesh? No inquiry was conducted to even find out whether Rup Singh Chakma lives in Arunachal Pradesh? The summon is nothing but an absolute abuse of power by the deputy commissioner," CDFI founder Suhas Chakma said in a statement.

The CDFI in its complaint stated: "The summon issued to Rup Singh Chakma for execution of good behaviour bond U/S 107 CrPC for maintaining peace & tranquillity in the area as per direction of the deputy commissioner appears to harass him and aimed to silence him for raising his voice against injustice meted out to the Chakma community by the state government."

"On March 23, Rup Singh Chakma and other Chakma HRDs briefed full commission of the National Human Rights Commission on their deplorable situation and further, on April 5, Rup Singh Chakma had organized a peaceful protest against racial discrimination and illegal census of the Chakma and Hajong communities by the state government of Arunachal Pradesh at Jantar Mantar, New Delhi," the complaint stated

The CDFI further alleged that DC, Changlang Sunny K Singh has been "systematically targeting the Chakma rights defenders". It urged the NHRC to direct DC to immediately withdraw the summon and award compensation of Rs 1 lakh for false prosecution and mental harassment of Rup Singh Chakma.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NORTH EAST TIMES, Online, 23.9.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Arunachal: CDFI moves NHRC alleging harassment on Chakma activists by Changlang DC

https://nenow.in/north-east-news/arunachal-pradesh/seo-title-preview-arunachal-cdfi-moves-nhrc-alleging-harassment-on-chakma-activists.html

The Chakma Development Foundation of India (CDFI) today filed a complaint with National Human Rights Commission against the alleged false prosecution and mental harassment of Human Rights Defender (HRD) Rup Singh Chakma, President of Arunachal Pradesh Chakma Students Union (APCSU) by Deputy Commissioner of Changlang district in Arunachal Pradesh.

On 19 September 2022, the Additional Deputy Commissioner of Bordumsa issued a “summon to Rup Singh Chakma” via WhatsApp to appear before him on September 20, 2022, pursuant to the direction of the Deputy Commissioner of Changlang district dated August 23, 2022, to sign a bond under Section 107 CrPC for maintaining peace & tranquillity in the area.

“Rup Singh Chakma has been employed and working in NOIDA, Uttar Pradesh since June 2021 and is still working and living in NOIDA. He was not present in Arunachal Pradesh in August 2022. How could a person sitting in NOIDA break peace and tranquility in Arunachal Pradesh? No inquiry was conducted to even find out whether Rup Singh Chakma lives in Arunachal Pradesh. The summon is nothing but an absolute abuse of power by the Deputy Commissioner”, said Suhas Chakma, Founder of the CDFI.

The CDFI in its complaint stated, “The Summon issued to Rup Singh Chakma for the execution of good behaviour bond U/S 107 CrPC for maintaining peace & tranquillity in the area as per direction of the Deputy Commissioner appears to harass him and aimed to silence him for raising his voice against the injustice meted out to the Chakma community by the State Government. On 23 March 2022, Mr Rup Singh Chakma and other Chakma HRDs briefed full commission of the National Human Rights Commission on their deplorable situation and further, on 5 April 2022, Mr Rup Singh Chakma had organized a peaceful protest against racial discrimination and illegal census of the Chakma and Hajong communities by the State Government of Arunachal Pradesh at Jantar Mantar, New Delhi.”

The CDFI further alleged that Sunny K Singh, Deputy Commissioner of Changlang district has been systematically targeting the Chakma rights defenders.

A statement added, “Previously as Additional Deputy Commissioner (ADC), Miao Sub-Division, he had initiated false proceedings against six Chakma human rights defenders from Dharmapur village under Miao Sub-Division in Changlang district in February 2022. On 29 August 2022, the NHRC issued a conditional summon to the District Magistrate (Deputy Commissioner), Changlang district to either submit the reports it

sought on the harassment on or before 28.9.2022 or appear in person on 6 October 2022."

The CDFI urged the NHRC to direct the Deputy Commissioner to immediately withdraw the summon issued and award compensation of Rs 100,000/- (one lakh) for "false prosecution and mental harassment" of Rup Singh Chakma.

NHRC Moved Over False Ceiling Collapse Incidents At MKCG

https://odishabytes.com/nhrc-moved-over-false-ceiling-collapse-incidents-at-mkcg-hospital-in-berhampur/

The National Human Rights Commission (NHRC) has been moved over repeated incidents of false ceiling collapse in the newly constructed building of the Super Speciality wing of MKCG Medical College and Hospital in Odisha's Berhampur city.

In a petition filed with the NHRC, social activist Rabindra Kumar Mishra has pointed out that a New Delhi-based contractors had completed the construction of the 5-storey building with a cost of Rs 150 crore around 4 years back. The Super Speciality Hospital was constructed under Prime Minister Swasthya Suraksha Yojana.

The petitioner also said the hospital has several departments where many doctors and nurses besides the patients remain present round-the-clock. They had narrow escape in several instances of the false ceiling collapse in different departments.

Following the incidents, a special team constituted with officials from SCB Hospital and Works department of the government inspected the construction works and submitted its report to the government.

As per the report, the contractor has not handed over the building officially to the MKCG authorities. Besides, it has not made the building plan and related information available to the officials. As a result, the hospital authorities were finding it difficult to carry out maintenance and repair work of the building.

Following the report, the Health and Family Welfare department had written to the Centre to direct the contractor to take remedial steps for permanent solution to the problem.

Pointing out that the negligence of the authorities violated the right to life and health, the petitioner has sought the Commission's direction to State and Central governments to take necessary steps to prevent recurrence of such incidents.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

JANTA SE RISHTA, Online, 23.9.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

चांगलांग डीसी द्वारा चकमा कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सीडीएफआई ने एनएचआरसी का रुख

https://jantaserishta.com/local/arunachal-pradesh/cdfi-approaches-nhrc-alleging-harassment-of-chakma-activists-by-changlang-dc-1589862

चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (सीडीएफआई) ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार रक्षक (एचआरडी) रूप सिंह चकमा, अरुणाचल प्रदेश चकमा छात्र संघ (एपीसीएसयू) के अध्यक्ष के कथित झूठे मुकदमे और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के उपायुक्त द्वारा। 19 सितंबर 2022 को, बोर्डुमसा के अतिरिक्त उपायुक्त ने 23 अगस्त, 2022 को चांगलांग जिले के उपायुक्त के निर्देश के अनुसार, 20 सितंबर, 2022 को उनके सामने पेश होने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से "रूप सिंह चकमा को समन" जारी किया। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 107 के तहत एक बांड पर हस्ताक्षर करें। "रूप सिंह चकमा जून 2021 से नोएडा, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं और अभी भी नोएडा में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। वह अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में मौजूद नहीं थे। नोएडा में बैठा एक व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में शांति और शांति कैसे भंग कर सकता है? यह पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की गई कि रूप सिंह चकमा अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं या नहीं। सीडीएफआई के संस्थापक सुहास चकमा ने कहा, समन और कुछ नहीं बल्कि उपायुक्त द्वारा सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग है। सीडीएफआई ने अपनी शिकायत में कहा, "उपायुक्त के निर्देश के अनुसार क्षेत्र में शांति और शांति बनाए रखने के लिए सीआरपीसी के तहत अच्छे व्यवहार बांड के निष्पादन के लिए रूप सिंह चकमा को जारी किया गया समन उन्हें परेशान करने और चुप कराने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। राज्य सरकार द्वारा चकमा समुदाय के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें। 23 मार्च 2022 को, श्री रूप सिंह चकमा और अन्य चकमा मानव संसाधन विकास ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्ण आयोग को उनकी दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी दी और आगे, 5 अप्रैल 2022 को, श्री रूप सिंह चकमा ने नस्लीय भेदभाव और अवैध जनगणना के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का आयोजन किया था। जंतर मंतर, नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा चकमा और हाजोंग समुदाय। सीडीएफआई ने आगे आरोप लगाया कि चांगलांग जिले के उपायुक्त सनी के सिंह चकमा अधिकार रक्षकों को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहे हैं। एक बयान में कहा गया है, "पहले अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), मियाओ सब-डिवीजन के रूप में, उन्होंने फरवरी 2022 में चांगलांग जिले के मियाओ सब-डिवीजन के तहत धर्मपुर गांव के छह चकमा मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ झूठी कार्यवाही शुरू की थी। 29 अगस्त 2022 को, NHRC ने जिला मजिस्ट्रेट (उपायुक्त), चांगलांग जिले को 28.9.2022 को या उससे पहले या उससे पहले उत्पीड़न पर मांगी गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने या 6 अक्टूबर 2022 को

व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए एक सशर्त समन जारी किया। सीडीएफआई ने एनएचआरसी से अनुरोध किया कि वह उपायुक्त को जारी समन को तुरंत वापस लेने और रूप सिंह चकमा के "झूठे अभियोजन और मानसिक उत्पीड़न" के लिए 100,000 / - (एक लाख) का मुआवजा देने का निर्देश दे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 23.9.2022
Page No. 3, Size:(4.02)cms X (4.88)cms.

NHRC intervenes in a case of death of two labourers in Jharkhand

NHRC's interventiom has resulted in the payment of Rs 10 lakh each as compensation by the mine owner to the next of kin of the two labourers who died in a stone mine accident in Koderma, Jharkhand. The incident happened in 2019, in which one of the co-owners of the mine also died. The Commission had registered a case on basis of a complaint on September 16, 2020 by the labourer's families.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 23.9.2022
Page No. 3, Size:(4.10)cms X (4.56)cms.

NHRC chief elected as member of APF Governance Committee

NHRC, India Chairperson, Justice Arun Mishra has been elected as a Member of the Asia Pacific Forum, APF Governance Committee as well as a Member of the Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI Bureau in the 27th online AGM of APF.

Prior to voting, he addressed the representatives of the NHRIs of the Asia Pacific Region.

PUNJAB KESARI, Delhi, 23.9.2022
Page No. 9, Size:(21.36)cms X (19.01)cms.

जागना होगा श्रम विभाग व मानवाधिकार आयोग को

लक्ष्मीकांता चावला
(पूर्व मंत्री पंजाब)

विधानसभा और लोकसभा के चुनाव घोषित होते हैं, जनता सड़कों पर आ जाती है। बेघर, बेरोजगार, गरीब, रोगी, अभावग्रस्त लोग इस आशा के साथ हाथ फैलाते हैं कि जो नई सरकार बन रही है वह उन्हें संरक्षण देगी, इज्जत की रोटी देगी, बीमारी में इलाज और भूख में राशन देगी। नौकरी के लिए भी हजारों नहीं लाखों देश के युवक-युवतियां तरसते-तड़पते, सरकारी डंडे खाते और जब कुछ नहीं मिलता तो वे शोषण और गरीबी की चक्की में पिसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने देश में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम आयोग है। मानव को मानव जैसा जीवन मिले इसकी देखरेख के लिए मानव आयोग भी है। देश के लगभग हर जिले में लेबर डिपार्टमेंट अधिकारी, उपकमिश्नर लंबी-चौड़ी फौज है, पर अगर कोई वास्तविकता देखें तो न इस देश के मजदूरों का शोषण भी है, बेकारी भी है और वह नारा इन हाथों को काम दो, काम के पूरे दाम दो, हवा में उड़ता ही दिखाई दे रहा है। जब सरकार कोई काम नहीं कर पाती।

वैसे संभव भी नहीं हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, पर जहां भी काम मिलता है वहां पेट भरने के लिए तो दाम मिल जाएं। काम के घंटे निश्चित हों। जिस वातावरण में काम करना है वहां कम से कम ताजी हवा तो हो और जो इस देश का श्रमिक कानून कहता है -छह दिन काम करने के बाद एक दिन अवकाश भी मिले, बीमारी की छुट्टी हो, अन्य भी कई लाभ पर आज की हालत तो यह है कि केंद्र से लेकर जिला मुख्यालयों तक जो श्रम विभाग के अधिकारी, मंत्री, कमिश्नर, श्रम आयोग के सरकारी लाभ ले रहे नेता आयोग के अध्यक्ष बनकर केवल अपनी सुख सुविधाओं का प्रबंध करते हैं, जो लोग श्रम कानूनों के अंतर्गत लिए जाने वाले किसी भी लाभ से वंचित हैं, वे तो उन बड़े-बड़े भवनों, कार्यालयों और साहबों के नजदीक भी नहीं जा पाते।

मेरा भारत सरकार के श्रम मंत्री से यह आग्रह है कि एक बार वे हर राज्य का स्वयं निरीक्षण करें। यह देखें कि जितने प्राइवेट अस्पताल, धार्मिक संस्थान, नर्सिंग होम हैं वहां कर्मचारियों की हालत कितनी बुरी है। आज के युग में जब रसोई गैस सिलेंडर एक हजार से ज्यादा कीमत का है। गेहूं का आटा भी जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, वह भी हजार रुपये में चालीस किलो ही मिलता है। स्कूलों-कालेजों की फीस कितनी है सरकारें निश्चित ही जानती होंगी। मकान का किराया, बिजली का किराया अन्य बहुत से जीवन के खर्च क्या कोई व्यक्ति पांच से सात हजार रुपया मासिक लेकर पूरे कर सकता है? डीसी रेट की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन इन संस्थाओं में डीसी रेट भी नहीं मिलता। प्राइवेट संस्थानों का तो क्या कहना। हमारी सरकारें भी जब ठेके पर या शोषण करने के लिए रखी आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को भर्ती करती हैं तो वहां भी अधिकतर कर्मचारियों को तीन सौ रुपया प्रतिदिन भी नहीं मिलता। अधिकतर प्राइवेट संस्थान को 200 रुपया प्रतिदिन से ज्यादा नहीं देते। उसके बाद बेचारे गरीब कर्मचारी के सिर पर डंडा यह रहता है कि जैसे ही वह आवाज उठाएगा, पूरी रोटी मांगेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इसी शोषण की चक्की में पिसते तीस से चालीस वर्ष हो गए। आज भी उन्होंने पंद्रह हजार रुपया कैसा होता है, नहीं देखा। छुट्टी का आनंद कैसे लिया जाता है वे नहीं जानते। एक दिन की छुट्टी अर्थात एक दिन के वेतन में कटौती। अपनी बीमारी, परिवार के सदस्यों की बीमारी, विवाह आदि उत्सव वेतन कटवाकर ही उन्हें मनाने पड़ते हैं। क्या भारत सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो यह सुनिश्चित करे कि कर्मी को सरकार द्वारा तय कम से कम वेतन मिले? काम

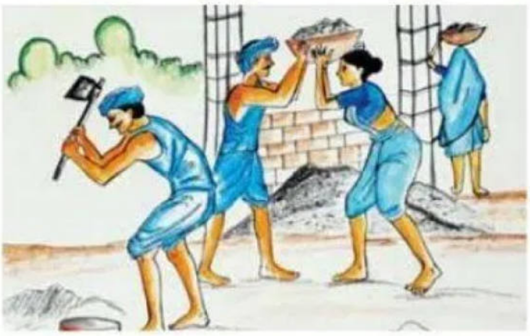

के घंटे तय हों। हर कर्मचारी ईएसआई स्कीम में पंजीकृत हो। प्रोविडेंट फंड का लाभ मिले। पेंशन तो सरकारों ने ही बंद कर दी, वह तो इन कर्मचारियों के लिए मांग ही नहीं सकते, पर नमक और रोटी तो सुनिश्चित हो जाए, यह सरकार को करना चाहिए।

कुछ वर्ष पूर्व जबलपुर के एक गेस्ट हाउस में रात रहने का अवसर मिला। वृद्ध कर्मचारी अपने बेटे को साथ लेकर कमरा और बर्तन साफ करवाने का काम कर रहा था। उसे काम करते पच्चीस वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसका वेतन 5 हजार नहीं था। बेटा मदद के लिए आ रहा था। डर यह था कि अगर पिता सही काम न कर पाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जहां पच्चीस वर्ष बाद भी नौकरी की सुरक्षा नहीं वहां हम मानव अधिकारों की बात करते हैं। पीर पराई जानने की गीत गाते हैं। देश के हर नागरिक को स्वावलंबी नहीं मना रहे, बल्कि इसी बात पर गर्व कर रहे हैं कि अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वैसे डा. अब्दुल कलाम आजाद जी ने ठीक कहा था कि मुफ्तखोरी आलसी और कामचोर बनाती है। हर व्यक्ति को काम दिया जाए और काम के इतने दाम तो मिल ही जाएं जिनसे वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

हमारे देश में अन्न-धन की कमी नहीं। बेहिसाब अन्न सरकार द्वारा सही संभाल न किए जाने से सड़ जाता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने दुखी मन से कहा था कि अगर संभाल नहीं सकते तो बांट दो। कितना अच्छा हो जिनको 300 या 400 रुपये प्रतिदिन वेतन दिया जाता है उनको हर महीने परिवार की आवश्यकता के मुताबिक राशन ही वेतन के साथ दे दिया जाए। हमारे देश के मंदिरों, गुरुद्वारों व अन्य सभी धर्म स्थानों में असंख्य धन संपदा है। चर्च के पास कितना धन होगा जो वे धर्म परिवर्तन पर खर्च कर रहे हैं। अगर सभी धर्म स्थान यह तय कर लें कि सरकार कुछ भी करे हमारे धार्मिक संस्थानों में काम करने वालों को पूरा वेतन, अवकाश और अन्य वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो एक परिवार को चाहिए।

भारत सरकार को सभी प्रांत सरकारों से यह जानकारी लेनी चाहिए कि कितने श्रमिक सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले थोड़े वेतन में काम करने को मजबूर हैं। बिना सवेतन छुट्टी के ही जिंदगी काट रहे हैं। जिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं वे जिंदगी के लिए अनुकूल हैं या घातक है। मैं यह मानती हूं कि जिस विभाग के अंतर्गत काम करने वाले हर वस्तु से वंचित हैं, वेतन से वंचित हैं, अवकाश से वंचित हैं। यूं भी कह सकते हैं कि मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं से वंचित हैं उस विभाग के मंत्री, कमिश्नर, अधिकारियों को अपने लिए मोटा वेतन लेने, जनता के टैक्सों की कमाई से सभी सुख-सुविधाओं का उपभोग करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार भी नहीं होना चाहिए। सरकार और निजी संस्थानों के मुखिया स्वयं ही जाग पड़ें तो अच्छा है अन्यथा जो बेचारे यह देखते हैं कि उनकी संस्थाओं के लिए मालिक तो कुछ ही दिनों में बड़े-बड़े भवनों और अकूत संपदा के मालिक बन जाते हैं जिस दिन उनका मन विद्रोही हो गया, वह दिन न देश के लिए अच्छा होगा न समाज के लिए।